न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 43/2012 (प्रा.पत्र आंवटन निरस्तीकरण)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2012/00063

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा,जिला कोटा
बनाम (प्रार्थी)

महमूदा पत्नी श्री गुलाब खॉ जाति मुसलमान निवासी कर्बला तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (अप्रार्थी)

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से –सरकार पेरोकार
अभिभाषक अप्रार्थी –श्री गोविन्द नामदेंव

प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त अर्न्तगत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 14(4)

निर्णय दिनांकः– 8/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.4.1973 को ग्राम आवली मे आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 15 बीधा भूमि अप्रार्थीया महमूदा पत्नि गुलाबखॉ जाति मुसलमान साकिन कोटा को भूआवटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गई थी। अप्रार्थीया को कब्जा लेने के एक साल भीतर काश्त करनी थी किन्तु अप्रार्थीया द्वारा न तो काश्त कराई गई ओर न ही उसका आंवटित भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन सम्बन्धी शर्तो की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। जिसके कारण आंवटन खरिज किया जावे।

पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2010 से प्रकरण में न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2002 को अपास्त कर इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त/आंवटित आराजी की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर। अप्रार्थीया की तलबी की गई। अप्रार्थीया की ओर सें अभिभाषक श्री गोविन्द नामदेव द्वारा उपस्थिति दी गई। तहसीलदार लाडपुरा से आंवटित आराजी के संबध में मौका एवं रेकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया । प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा, अप्रार्थीया गैर खातेदार महमूदा जोजे गुलाबखां को सेटलमेन्ट पूर्व दिनांक 20.4.1973 को ग्राम अवाली में खसरा नम्बर

अति. जिला कलक्टर
कोटा

155 की 15 बीघा भूमि आंवटित हुई थी। आंवटी उक्त खसरा नम्बर 155 की भूमि मे सेटलमेन्ट पूर्व नामा0 सं. 111 से गैरखातेदार दर्ज हुई। बाद सेटलमेन्ट से उक्त गैरखातेदार वर्तमान तक दर्ज रिकार्ड नही है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त के मिलान क्षैत्रफल में खसरा संख्या(साबिक) के वर्तमान नए नम्बर बाद सेटलमेन्ट नही बनाए गए,ना ही सम्पूर्ण मिलान क्षैत्रफल में खसरा नम्बर 155 रकबा 15 बीघा के हाल नम्बर गए है। सेटलमेन्ट के पूर्व का नक्शा एवं वर्तमान नक्शा मिलान करने पर स्थिति स्पष्ट नही हुई है क्योकि पूर्व के नक्शे व खसरा नं. 155 व वर्तमान खसरा नम्बर 155 दोनो अलग अलग रकबे व स्थान पर है। ग्राम आंवली में उक्त आंवटी गैरखातेदार महमूदा का किसी भी खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नही है।

प्रकरण में जिला रेकार्ड रूम कोटा में भू–प्रबन्धक विभाग का रेकार्ड देखा गया। भू–प्रबन्ध विभाग के भूमापक लल्लूराम सैनी द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान निर्मित खसरा पत्रक ग्राम आवंली के अनुसार कमं सं. 23 पर अंकित खाता सं. 86 पर महमूदा जोजे गुलाबखां मुसलमान का अंकन खातो का सरहद बधा में होने एवं मौके पर कब्जा नही होने के कारण जमाबंदी में अंकन नही किया गया, की टिप्पणी की गई है। आंवटी महमूदा का गैरखातेदारी में दर्ज रेकार्ड नही है। क्योकी उक्त गैरखातेदार का सेटलमेन्ट के दौरान अमल नही किया गया है ओर साबिक खसरा नम्बर 155 से सेटलमेन्ट मे कोई नया खसरा नम्बर नही बनाया गया है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आंवटित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है और वही उक्त भूमि पर फसल बोती एवं काटती चली आ रही। अप्रार्थीया उक्त आराजी पर वक्त आंवटन से निरन्तर काबिज काश्त है उक्त आराजी के चारो ओर पत्थरो का कोटा बना हुआ है। अप्रार्थीया द्वारा उक्त आराजी का लगान भी जमा किया है। अप्रार्थीया के पास उक्त आराजी के अलावा ओर अन्य कोई आराजी नही है। अतः अप्रार्थीया का आंवटन निरस्त नही किया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त ... कोटा (राज.)

सरकार पैरोकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आंवटी के पक्ष में दिनांक 20.04.1973 को वादग्रस्त आराजी का आंवटन किया गया था। आवंटि को उक्त भूमि पर कब्जा लेने के एक वर्ष के अन्दर काश्त किया जाना आवश्यक् था परन्तु उनके द्वारा आंवटित भूमि पर काश्त नही की गई है ओर नही आंवटित भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार आंवटी द्वारा आंवटन शर्तो का उल्लघन किया गया है। अतः आंवटन खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विवादित आराजीयात् के संबध में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अप्रार्थीया गैर खातेदार महमूदा जोजे गुलाबखां को सेटलमेन्ट पूर्व दिनांक 20.4.1973 को ग्राम अवाली में खसरा नम्बर 155 की 15 बीघा भूमि आंवटित होना पाया जाता है किन्तु बाद सेटलमेन्ट से उक्त गैरखातेदार वर्तमान तक दर्ज रिकार्ड नही है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त के मिलान क्षैत्रफल में

अति० जिला कलक्टर
कोटा

खसरा संख्या(साबिक) के वर्तमान नए नम्बर बाद सेटलमेन्ट नही बनाए गए,ना ही सम्पूर्ण मिलान क्षैत्रफल में खसरा नम्बर 155 रकबा 15 बीघा के हाल नम्बर गए है। सेटलमेन्ट के पूर्व का नक्शा एवं वर्तमान नक्शा मिलान करने पर स्थिति स्पष्ट नही हुई है क्योकि पूर्व के नक्शे व खसरा नं. 155 व वर्तमान खसरा नम्बर 155 दोनो अलग अलग रकबे व स्थान पर है। ग्राम आंवली में उक्त आंवटी गैरखातेदार महमूदा का किसी भी खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नही है। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह भी कथन किया है कि जिला रेकार्ड रूम कोटा में भू–प्रबन्धक विभाग का रेकार्ड देखा गया। भू–प्रबन्ध विभाग के भूमापक लल्लूराम सैनी द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान निर्मित खसरा पत्रक ग्राम आवंली के अनुसार कम सं. 23 पर अंकित खाता सं. 86 पर महमूदा जोजे गुलाबखां मुसलमान का अंकन खातो का सरहद बधा में होने एवं मौके पर कब्जा नही होने के कारण जमाबंदी में अंकन नही किया गया, की टिप्पणी की गई है। आंवटी महमूदा का गैरखातेदारी में दर्ज रेकार्ड नही है। क्योकी उक्त गैरखातेदार का सेटलमेन्ट के दौरान अमल नही किया गया है ओर साबिक खसरा नम्बर 155 से सेटलमेन्ट मे कोई नया खसरा नम्बर नही बनाया गया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आंवटित भूमि पर अप्रार्थीया महमूदा का कब्जा काश्त नही है। पत्रावली में अप्रार्थीया महमूदा द्वारा कब्जे के संबध में कोई साक्ष्य अथवा रेकार्ड भी प्रस्तुत नही किया है जिससें अप्रार्थीया का आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त होना पाया गया हो। आवंटित भूमि पर ही नही अप्रार्थीया को ग्राम आंवली में उक्त आंवटी गैरखातेदार महमूदा का किसी भी खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नही होना तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित है। अप्रार्थीया को आंवटित भूमि पर कब्जा लेने के एक साल के अन्दर काश्त करनी थी किन्तु अप्रार्थीया द्वारा न तो क़ाश्त कराई गई है ओर न ही उसका आंवटित भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आंवटन संबधी शर्तो की स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है। जिसके कारण आवंटन खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः आंवटी अप्रार्थीया महमूदा पत्नी श्री गुलाब खॉं जाति मुसलमान निवासी कर्बला तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम आवंली तह0लाडपुरा के. ख.न. 155 रकबा 15 बीघा का दिनांक 20.4.1973 को किया गया आंवटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लाडपुरा को निर्णय की प्रमाणित प्रति राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक......8|5|96......को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा